तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /2006/ 1157/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम नारायण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-04-2026	**एकलपीठ** **श्री राजेन्द्र सिंह कविया, सदस्य** **उपस्थित :** श्री जानी सिंह, उप राजकीय अभिभाषक। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं । — **आदेश** 1— राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स अतिरिक्त कलेक्टर (तृतीय) जयपुर ने अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 21—12—2005 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है। 2— रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार आमेर ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र अतिरिक्त कलेक्टर (तृतीय) जयपुर, को प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि खतौनी बंदोबस्त संवत् 2008—27 ग्राम बगवाड़ा तहसील आमेर के खसरा सं. 686, 688, 689, 690, 691 किता 5 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा माफी मंदिर श्री ठाकुर जी के नाम दर्ज थी। मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2046 के अनुसार नवीन खसरा नंबर 609, 610, 611, 612, 613, 1546, 1547, 1548 व 1549 है। जमाबन्दी तहरीर करते समय तत्कालीन राजस्व कर्मियों द्वारा मन्दिर खसरा सं. 1549 रकबा 0.26 है0 भूमि से मंदिरका नाम विलोपित करते हुए सीधे ही अप्रार्थी नारायण पुत्र छोटू जाति मीणा के नाम अंकित कर दी गई तथा वर्तमान में भी अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। मन्दिर माफी की भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया जाना अवैध है। उक्त प्रविष्टियों को विलोपित कर उक्त भूमि को वापिस माफी मंदिर श्री ठाकुर जी के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार, आमेर द्वारा रेफेरेंस प्रकरण अति0 कलेक्टर (तृतीय) जयपुर को प्रस्तुत किया। अति0 कलेक्टर (तृतीय) जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21—12—2005 द्वारा रेफेरेंस प्रकरण वादग्रस्त भूमि को माफी मंदिर श्री ठाकुर जी के नाम खातेदारी में दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रेषित किया है। 3— विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक का अभिकथन है कि विवादित भूमि माफी मंदिर श्री ठाकुर जी के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। चूंकि मन्दिर शाश्वत नाबालिग है, और माफी मन्दिर विराजमान शाश्वत नाबालिग की खातेदारी भूमि होने के कारण उसका अन्तरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता और ना ही उक्त भूमि में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /2006/ 1157/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम नारायण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। बंदोबस्त विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के विवादित भूमि मंदिर के स्थान पर विधि विरूद्ध अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः जमाबन्दी में अप्रार्थी के नाम अंकित प्रविष्टियां निरस्त किये जाने योग्य है एवं विवादित आराजी की खातेदारी पुनः माफी मन्दिर के नाम पर दर्ज किया जाना न्यायोचित है। 4— अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस पर मनन किया गया और पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया। 5— राजस्थान सरकार भू—प्रबन्ध(सेन्टलमेन्ट) विभाग खातौनी बंदोबस्त जमाबन्दी संवत् 2008 से 2027 ग्राम बगवाड़ा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर के खसरा सं. 686, 688, 689, 690, 691 माफी मंदिर श्री ठाकुर जी अहतमाम पुजारी रूड़मल वल्द किशनलाल कोम ब्राह्मण के नाम दर्ज रिकार्ड है। साबिक खसरा सं. 686, 688, 689, 690, 691 से नवीन खसरा सं. 609, 610, 611, 612, 613, 1546, 1547, 1548 व 1549 बनें। जमाबन्दी(खतौनी) संवत् 2060 से 2063 में खसरा सं. 1549 रकबा 0.26 नारायण पुत्र छोटू कौम मीणा सा देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार माफी मंदिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है। 6— राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं 46 के अन्तर्गत मन्दिर मूर्ति की भूमियां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धारित की जाती है एवं मन्दिर मूर्ति विधिक व्यक्ति होता है जिसे सम्पत्ति धारण करने का अधिकार होता है एवं उसकी कृषि भूमि में कोई निजी व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। राजस्व विधि में मन्दिर मूर्ति को शाश्वत अव्यस्क माना जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार की भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण वर्जित है। इस प्रकार मन्दिर मूर्ति की भूमि का अप्रार्थी के नाम अन्तरण, नामांकन तथा राजस्व अभिलेख में अंकन पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। मन्दिर एक शाश्वत नाबालिग है और juristic person है। मन्दिर की भूमि चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त क्यों न की जा रही हो, चाहे सबायत, पुजारी, एजेंट या मजदूर को मजदूरी देकर काश्त करायी गयी हो, वह मन्दिर की खुदकाश्त मानी जावेगी व उसके खातेदारी अधिकार मन्दिर के अलावा किसी भी व्यक्ति	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /2006/ 1157/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम नारायण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में निहित नहीं होंगे। अतः विवादित आराजी वर्तमान अप्रार्थी के नाम विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। रेफेरेंस स्वीकार किये जाने योग्य है। 7— निष्कर्षतः हस्तगत् रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बगवाड़ा तहसील आमेर विवादित आराजी खसरा नंबर 1549 रकबा 0.26 माफी मंदिर श्री ठाकुर जी के स्थान पर अन्य व्यक्तियों के पक्ष में किये गये नामान्तकरण निरस्त करते हुए पुनः ''माफी मंदिर श्री ठाकुर जी'' के नाम बतौर खातेदार दर्ज करने एवं सुसंगत समस्त राजस्व अभिलेखों से अप्रार्थी के नाम विलोपित करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(राजेन्द्र सिंह कविया)** **सदस्य**	